

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र

सर्वशिक्षा अभियान, दमोह

रानी दुर्गावती कलेक्ट्रेट परिसर, जबलपुर नाका, दमोह-470661



क्र/जि.शि.के./एमआईएस/2018/3398

दमोह, दिनांक 27/03/2018

प्रति,

1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी-समस्त
2. संकुल प्राचार्य-समस्त
3. बी.आर.सी.सी.-समस्त
जिला-दमोह

विषय:-
संदर्भ-

एम.शिक्षा मित्र के क्रियान्वयन के संबंध में।

1. मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल का आदेश क्र./एफ44-4/2018/20-2 भोपाल, दिनांक: 08/02/2018.
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल का पत्र क्र./2018/36, दिनांक: 03/03/2018.

-----00-----


विषयांतर्गत शासन के संदर्भित पत्रानुसार एजूकेशन पोर्टल पर उपलब्ध सभी सुविधाएँ/सेवाओं को चरण बद्ध रूप से एप के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एम.शिक्षा मित्र-एप को गवर्नेंस प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया गया है। एप के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं/हितधारकों को विभाग से संबंधित सेवाएँ और सुविधाएँ एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध करायी जा रही हैं।

एप, सुचारु रूप से संचालित हों, इसके लिए निम्न बिंदुओं के अनुसार कार्यवाही की जाए-

1. एम.शिक्षा मित्र एप का उपयोग तत्काल प्रभाव से विभाग अन्तर्गत सभी कार्यालयों और विद्यालयों में प्रारंभ किया जाएगा। दिनांक 31 मार्च 2018 तक सभी अधिकारी/कर्मचारी एवं शिक्षक इसे प्रायोगिक तौर पर उपयोग करें।
2. 1 अप्रैल 2018 से इसका उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे। चूंकि इसी एप के द्वारा प्राप्त उपस्थिति एवं जानकारी के आधार पर वेतन जनरेट किया जावेगा। इस व्यवस्था को स्थापित करने हेतु निम्न बिंदुओं के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है-
 - एप के उपयोग के लिए सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल नंबर एजूकेशन पोर्टल पर अपडेट हो जाना चाहिए।
 - मोबाइल एप के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण जिले स्तर पर दिनांक: 30/03/2018 को जिले स्तर पर तीन विकासखण्ड क्रमशः तेंदूखेड़ा, जबेरा एवं बटियागढ़ को दोपहर 12.00 बजे से एवं चार विकासखण्ड क्रमशः दमोह, पथरिया, हटा एवं पटेरा का दोपहर 2.00 बजे से सर्व शिक्षा अभियान के सभा कक्ष में आयोजित किया गया है।
 - मोबाइल एप के उपयोग संबंधी विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण जनपद शिक्षा केंद्र कार्यालय में दिनांक: 31/03/2018 को आयोजित होगा। विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण के लिए एम.आई.एस. समन्वयक नोडल होंगे, एवं समस्त जनशिक्षक प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्रांतर्गत कार्य को गंभीरता से सम्पादित कराना सुनिश्चित करें, इस हेतु सर्व सम्बंधितों को तत्काल आवश्यक निर्देश भी जारी करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं
अपर कलेक्टर (विकास)
जिला पंचायत-दमोह



कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र

सर्वशिक्षा अभियान, दमोह

रानी दुर्गावती कलेक्ट्रेट परिसर, जबलपुर नाका, दमोह-470661



पृ.क्र./जि.शि.के./एमआईएस/2018/3399
प्रतिलिपि-

दमोह, दिनांक 27/03/2018

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र-भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला-दमोह।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण-सागर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह। आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान-हटा। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. एम.आई.एस., जनपद शिक्षा केंद्र-समस्त। सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आप भी दिनांक:30/03/2018 को जिला शिक्षा केंद्र, दमोह में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं
अपर कलेक्टर (विकास)
जिला पंचायत-दमोह